अपील सूचना अधिकार संख्या 91/2020 (RCMS 2020/00162) श्री मगन सिंह राठौड, वाहन चालक तहसील कार्यालय घड़साना श्रीगंगानगर राजस्थान बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मगन सिंह राठौड स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इन कार्यालय द्वारा भिजावये गये नोटिस पर रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने नोटिस लेने से इंकार किया। अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने और लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मगन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2020 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

1. **श्रीमानजी राज्य लोक सूचना एवं लोक सूचना प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम व पूर्ण पता निवासी + कार्यालय फोन नं. सहित प्रदान करें।**
2. **श्रीमानजी प्रथम अपील प्राधिकारी का पूरा नाम एवं पदनाम, पूर्ण पता + कार्यालय फोन नं. सहित प्रदान करें।**
3. **श्रीमानजी प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम घडसाना के पत्रांक 5511 दिनांक 12.06.2020 एवं कार्यालय**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.) के पत्रांक 1387 दिनांक 14.06.2020 पर विभाग द्वारा निम्न फर्मों द्वारा की गई शिकायत सम्बन्धी आज तक की गई तमाम कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जावे।

4. श्रीमान् दिनांक 11.06.2020 को मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे गये उस समय पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के किन–किन अधिकारीगण, कर्मचारियों की ड्यूटी व मौजूद पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारियों के कार्यालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावे।
5. श्रीमानजी राजस्व विभाग व पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2020 को मास्क नहीं पहनने पर किस व्यक्ति द्वारा चालान काटे गये उस समय राजस्व विभाग व पुलिस विभाग का कौन कौन अधिकारीगण, कर्मचारी मौजूद थे।
6. श्रीमान्जी दिनांक 11.06.2020 को किन–किन व्यक्तियों के चालान काटे गये।
7. श्रीमानजी सन्नी आहुजा व सुरेन्द्र शर्मा तहसील परिसर में किस हैसियत से कार्य करते है की लाईसैंस आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।
8. श्रीमान्जी बिट्टू इलेक्ट्रिानिक के दुकान की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिनांक 11.06.2020 को (पूरे दिन की) फोटो प्रमाणित प्रति प्रदान की जावे।

9 श्रीमान्जी तहसील कार्यालय की गाडी संख्या RJ 13 UA 3978 की दिनांक 11.06.2020 की लॉग बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

10. श्रीमानजी् बालाली कूलर उद्योग, अनूपगढ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिनांक 14.06.2020 को (पूरे दिन की) फोटो की प्रमाणित प्रति प्रदान की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने अपने पत्रांक विविध/2020/404 दिनांक 31.07.2020 के साथ अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर प्रेषित की है। **तहसीलदार (राजस्व), घड़साना** ने अपने पत्रांक विविध/2020/554 दिनांक 15.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री मदन सिंह राठौड इस कार्यालय में वाहन चाल के पद पर प्रतिनियुक्त था। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक पूल/एफ 09/वा.आ./2020—21/1001—1005 दिनांक 11.09.2020 द्वारा कार्मिक की प्रतिनियुक्ति तहसील कार्यालय घड़साना में निरस्त की जाकर अपने मूल पदस्थापन विभाग भू जल वैज्ञानिक (सर्वेक्षण एवं अनुसंधान विभाग) में की गई है। उक्त आदेश की पालना में कार्मिक को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 523 दिनांक 11.09.2020 को बाद दोपहर मूल पदस्थापन विभाग में उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु कार्यमुक्त किया गया।**
>
> **अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आवेदन दिनांक 02.07.2020 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में चाही गयी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक विविध/2020/404 दिनांक 31.07.2020 द्वारा भिजवा दी गयी। आवेदक को निर्धारित नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने दिनांक 14.07.2020 को ही अपील प्रस्तुत की है जो कि निर्धारित समयावधि 30 दिवस से पूर्व ही पेश की गयी है। अतः उक्त अपील की कार्यवाही निरस्त कर दफ्तर दाखिल करने की कृपा करें।

संलग्न : पत्रांक विविध/2020/404 दिनांक 31.07.2020 की प्रति।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने अपने पत्रांक विविध/2020/404 दिनांक 31.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :

1. राज्य लोक सूचना एवं लोक सूचना प्राधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना का नाम विनोद कुमार, पद नाम नायब तहसीलदार, कार्यवाहक तहसीलदार घड़साना एवं पता तहसीलदार घड़साना कार्यालय का दूरभाष नं. 01506–250770 है।
2. प्रथम अपील प्रधिकारी श्री महावीर प्रसा वर्मा, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर कार्यालय का पता जिला कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर दूरभाष नं. 0154–2440988 है।
3. बिन्दु संख्या 3 में वर्णित पत्रांक 5511 दिनांक 12.06.2020 एवं 1387 दिनांक 14.06.2020 से संबंधित सूचना संलग्न पत्र प्रेषित है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक F-9 ( ) DM & RD/ DMCovid-19/2020/5014-21 jaipur dated 19.04.2020 एवं एफ.9(16) गुह–5/2020 जयपुर दिनांक 03.05.2020 की पालना में राजस्व विभाग में तहसीलदार, घडसाना स्वयं द्वारा दिनांक 11.06.2020 को मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने वालों पर चालान काटे गये। उक्त आदेश की पालना में ही चालान काटे गये। पुलिस विभाग के कार्मिको के संबंध में सूचना पुलिस विभाग से प्राप्त की जानी उचित है।
5. राजस्व विभाग में तहसीलदार, घडसाना स्वयं द्वारा दिनांक 11.6.2020 को मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने वालों पर चालान काटे गये। पुलिस विभाग के कार्मिकों के संबंध में सूचना पुलिस विभाग से प्राप्त की जानी उचित है।
6. दिनांक 11.06.2020 को किशनलाल पुत्र जीवराज घड़साना, पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल घड़साना, पंकजराम पुत्र कृष्णलाल सेतिया घडसाना, विमल कुमार पुत्र सुभाष कुमार घडसाना, मुकेश कुमार पुत्र दिवानचंद घडसाना, तेजपाल पुत्र रामविलास घड़साना, पुनीत कुमार पुत्र तेजपाल घडसाना, लखविन्द्र सिंह पुत्र जगनंदन सिंह घडसाना, गौरव ईन्टरप्राईजेज घड़साना, विनोद कुमार पुत्र प्रकाश चंद घड़साना, ओम प्रकाश घड़साना, रवि नागपाल पुत्र रामनारायण नागपाल घड़साना, श्यामलाल पुत्र मुलाराम घड़साना के चालाना काटे गये।
7. सन्नी आहुजा और सुरेन्द्र शर्मा ना का कोई व्यक्ति तहसील कार्यालय में कार्यरत नहीं है।
8. बिन्दु संख्या 8 से संबंधित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9. तहसील कार्यालय की गाडी नं. आरजे 13 यूए 3978 की दिनांक 11.06.2020 की लॉग बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

10 बिन्दु संख्या 10 से संबंधित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय नहीं है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब उक्तानुसार प्रार्थी को दिनांक 31.07.2020 से लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार दिया जा चुका है एवं बिन्दु संख्या 4 से 7 की वांछित सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए **तहसीलदार, राजस्व, घड़साना द्वारा दिनांक 31.07.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।** इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः **उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर